

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।  
कमांक : ई/चिअ/ए टू जेड सीट/2023/ दिनांक :

**—: आदेश :—**

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से चयनित है को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक: एफ0/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे-5400/- लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	चिकित्सा अधिकारी के पद पर परिविक्षा काल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन शृंखला देय तिथि
1	डा0 विजय बाटोलिया, चि0अ0	30.09.1989	29.12.2021	28.12.2022	29.12.2022
2	डा0 सलोनी जैन, चि0अ0	02.03.1990	31.05.2021	30.05.2022 (प्रोबेशन काल में 18 दिवस का असाधारण अवकाश)	31.05.2022
3	डा0 अरविन्द कुमार, चि0अ0	01.08.1990	28.12.2021	27.12.2022	28.12.2022
4	डा0 नरेन्द्र सिंह, चि0अ0	05.06.1995	23.12.2020	22.12.2021	23.12.2021
5	डा0 चन्द्र प्रकाश चि0अ0	01.08.1989	15.10.2015	05.05.2017 (प्रोबेशन काल में कुल 202 दिवस का असाधारण अवकाश)	06.05.2017
6	डा0 रोहित मित्तल चि0अ0	07.11.1994	30.12.2020	29.12.2021 (प्रोबेशन काल में 23 दिवस का असाधारण अवकाश )	30.12.2021
7	डा0 प्रशान्त चौधरी चि0अ0	05.10.1988	21.02.2022	20.02.2023	21.02.2023
8	डा0 शिवा तंवर चि0अ0	16.02.1985	15.01.2021	14.01.2022	15.01.2022
9	डा0 संगीता चि0अ0	01.07.1991	31.05.2021	30.05.2022 (दिनांक 18.01.2022 से 16.07.2022 तक कुल 180 दिवस का मातृत्व अवकाश)	31.05.2022

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 16/3/22

कमांक : ई/चिअ/ए टू जेड सीट/2022/ 122

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित समस्त मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समुह।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित सामु0 स्वा0 केन्द्र/प्राथ0 स्वा0 केन्द्र।
5. सम्बन्धित डिलिंग सहायक, संस्थापन अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय को भेजकर लेख है कि चिकित्सक की मूल पत्रावली में संधारित करें।
6. अति0 प्रशासनिक अधिकारी एटीसी अनुभाग राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारी की ई-मेल आईडी पर आज ही अपलोड करावें।
8. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी को पालनार्थ।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।